

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैथ

क्रमांक:राजस्व/2021/

दिनांक: / /2021

आदेश

आवेदक श्री सूजाराम ने तहसील चाकसू के ग्राम सदारामपुरा स्थित आराजी के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 72, 73, 74 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का थली द्वारा जाँच की जाकर ग्राम सदारामपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 72, 73, 74 की प्रविष्टि के स्थान पर सूजाराम पुत्र रामनारायण जाट किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार चाकसू द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अनुशंसा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का थली की रिपोर्ट व तहसीलदार चाकसू की अभिशंका के आधार पर प्रार्थी श्री सूजाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी सदारामपुरा तहसील चाकसू के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 72, 73, 74 वाके ग्राम सदारामपुरा में अंकित प्रविष्टि सूजी लाल पुत्र रामनारायण के स्थान पर सूजाराम पुत्र रामनारायण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(डॉ. उपखण्ड लाली शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दिनांक: 12/1/2021

क्रमांक:राजस्व/2021/110-411

प्रतिलिपि:- निम्न को पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार चाकसू।
2. पटवारी हल्का थली।

(डॉ. उपखण्ड लाली शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)